>

Title: Reported decision of imposing ban on Khair Wood by Government.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। हमारे राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल तीन ऐसे राज्य हैं, जिनमें हमारे खैर ट्रीज़ होते हैं। इससे कत्था बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके काटने पर बैन लगा दिया। एक इम्पॉवर कमेटी बनाई गई, जिसने रिपोर्ट देनी थी और फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया। हमारे किसान, जमींदार लोग हैं, उनके अपने खैर ट्रीज़ हैं, लेकिन उनको काटने पर भी बैन लग गया। यह हमारी कैश क्रॉप है। एक काटो, तो चार पैदा होते हैं। अगर सात-आठ साल उन्हें न काटा जाए, तो वे डेड एंड ड्राई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल कर, खास तौर से जमींदारों पर से बैन समाप्त किया जाए, ताकि तीन राज्यों के जो किसान और जमींदार भूखे मर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके। आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में फसलें नहीं होती हैं, यही पेड़ हमारी फसलें हैं। इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एक काटते हैं, तो चार पैदा होते हैं। अगर इन्हें नहीं काटा गया, तो मदर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति महोदय, मैं भी अपने को चौधरी लाल सिंह के विषय से संबंद्ध करता हूं।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।